



आधार नामांकन / अद्यतन केंद्र

यह संस्थान क्या है

आधार नामांकन या अद्यतन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) में पंजीकृत वह बिंदु है जहाँ निवासी नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं या अपने मौजूदा विवरण – पता, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक्स, नाम, जन्म तिथि या लिंग – अद्यतन कर सकते हैं। ये केंद्र UIDAI-सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं, जो प्रायः बैंकों, डाकघरों या सामान्य सेवा केंद्रों के भीतर होते हैं। आधार 12-अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है तथा भारत की लाभ-वितरण व्यवस्था का आधार है। सही, कार्यशील आधार के बिना कोई भी युवा अधिकांश सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुँच सकता, बैंक खाता नहीं खोल सकता, या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आपके आधार में पता गलत है, आपका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बार-बार विफल हो रहा है, या आप काम या पढ़ाई के लिए नए शहर में चले गए हैं, तो आपको इसे ठीक करने के लिए अद्यतन केंद्र की आवश्यकता है – अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति, मजदूरी या योजना लाभ आप तक नहीं पहुँचेंगे।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम (एएए), 2016	आधार जारी करने, प्रमाणीकरण एवं उपयोग के लिए विधिक ढाँचा
आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016	नामांकन केंद्रों, ऑपरेटरों, शुल्कों एवं प्रक्रियाओं के लिए नियम
UIDAI शुल्क संशोधन परिपत्र, अक्टूबर 2025	जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए वर्तमान शुल्क सूची
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय (के.एस. पुट्टस्वामी, 2018)	सरकारी सब्सिडी के लिए आधार को बरकरार रखा; निजी अनिवार्य उपयोग को सीमित किया

- **केंद्र:** UIDAI (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) → UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्रीय सूचीकरण, ऑडिट, अनुपालन-हीन केंद्रों की डी-लिस्टिंग) → सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियाँ → पंजीकृत केंद्र
- **जिला:** जिला रजिस्ट्रार, सामान्यतः जिलाधिकारी (DM) – जिले में आधार कवरेज, एजेंसी तैनाती की मंजूरी, तथा शुल्क-अधिक-वसूली शिकायतों सहित शिकायत एस्केलेशन के लिए उत्तरदायी
- **ऑपरेटर:** प्रत्येक केंद्र पर UIDAI-प्रमाणित ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते हैं तथा अद्यतन प्रसंस्कृत करते हैं
- **वित्त-पोषण:** UIDAI एजेंसियों को प्रति नामांकन/अद्यतन भुगतान करता है; नया नामांकन निवासी के लिए निःशुल्क है

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
आधार ऑपरेटर / पर्यवेक्षक	बायोमेट्रिक्स कैप्चर करना, अद्यतन प्रसंस्कृत करना, पावती पर्ची जारी करना (UIDAI-प्रमाणित होना अनिवार्य)
केंद्र प्रबंधक	अपॉइंटमेंट एवं कतारों का प्रबंधन (एजेंसी-संचालित केंद्रों पर)
डाकघर / बैंक स्टाफ	अपॉइंटमेंट एवं फॉर्म में सहायता (डाकघरों या बैंकों के भीतर स्थित केंद्रों पर)



अनिवार्य सेवाएँ

- नया नामांकन: निःशुल्क; अंगुलियों की छाप, आइरिस, फोटो एवं जनसांख्यिकीय विवरण कैप्चर करता है; 12-अंकों की आधार संख्या जारी करता है
- बायोमेट्रिक अद्यतन (अंगुलियों की छाप, आइरिस, फोटो): 125 रुपये; अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन (MBU) 5-7 आयु में किए गए पहले अद्यतन तथा 15-17 आयु में किए गए पहले या दूसरे अद्यतन के लिए निःशुल्क है, और 7-15 आयु वर्ग के लिए 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क है। MBU एक स्वतंत्र लेन-देन होना चाहिए तथा किसी अन्य अद्यतन के साथ नहीं किया जा सकता
- जनसांख्यिकीय अद्यतन (नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल, ईमेल): अलग से किए जाने पर 75 रुपये; बायोमेट्रिक अद्यतन के साथ ही किए जाने पर निःशुल्क
- आजीवन परिवर्तन सीमाएँ लागू होती हैं: नाम दो बार बदला जा सकता है, जन्म तिथि एवं लिंग एक-एक बार। पते की कोई आजीवन सीमा नहीं है तथा वैध पते के प्रमाण दस्तावेज के साथ myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अद्यतन किया जा सकता है
- पहचान प्रमाण / पते के प्रमाण दस्तावेजों का myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अद्यतन 14 जून 2026 तक निःशुल्क है; वही अद्यतन आधार केंद्र पर किए जाने पर 75 रुपये का शुल्क लगता है
- भौतिक PVC आधार कार्ड ऑनलाइन 75 रुपये में मँगवाया जा सकता है (GST एवं स्पीड पोस्ट डिलीवरी सहित)
- लिंकड मोबाइल नंबर वाले निवासियों के लिए myaadhaar.uidai.gov.in पर ऑनलाइन स्व-सेवा अद्यतन उपलब्ध है
- आधार सेवा केंद्रों पर अपॉइंटमेंट bookappointment.uidai.gov.in के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं

संबंधित योजनाएँ

- **PMJDY (प्रधानमंत्री जन-धन योजना)** – बैंक खाता लिंकिंग एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार आवश्यक
- **VB-G RAM G** – मजदूरी भुगतान के लिए आधार-लिंकड बैंक खाता आवश्यक
- **PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)** – सब्सिडी वाले राशन वितरण के लिए आधार प्रमाणीकरण
- **PM-KISAN** – किसान परिवार को 6,000 रुपये/वर्ष अंतरण के लिए आधार-लिंकड खाता
- **छात्रवृत्ति योजनाएँ** – छात्रवृत्ति DBT के लिए आधार-लिंकड खाता आवश्यक

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: bookappointment.uidai.gov.in – आधार सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक करें; सक्रिय नामांकन/अद्यतन केंद्रों की सूची के लिए राज्य एवं जिला चुनें

अन्य: एक वैकल्पिक लोकेटर ISRO भुवन पोर्टल bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर है, जो प्राथमिक अपॉइंटमेंट पोर्टल धीमा होने पर उपयोगी है (UIDAI सूचित करता है कि लोकेशन प्रामाणिकता का सत्यापन अभी जारी है)। अनेक केंद्र डाकघरों, बैंक शाखाओं तथा CSCs के भीतर हैं; uidai.gov.in पर "Aadhaar centre near [स्थान]" खोजें

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील आधार केंद्र पर ये सुविधाएँ होनी चाहिए: इंटरनेट युक्त कंप्यूटर, बायोमेट्रिक कैप्चर उपकरण (फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, कैमरा), पावती पर्ची के लिए प्रिंटर, तथा एक UIDAI-प्रमाणित ऑपरेटर। शुल्क सूची एवं ऑपरेटर प्रमाण पत्र दृश्य रूप से प्रदर्शित होने चाहिए।

एक क्रियाशील आधार केंद्र कैसा दिखता है

- केंद्र सूचीबद्ध समय में कार्यशील उपकरणों के साथ संचालित हो
- शुल्क सूची प्रदर्शित हो: नया नामांकन निःशुल्क, जनसांख्यिकीय अद्यतन 75 रुपये, बायोमेट्रिक अद्यतन 125 रुपये
- एक सप्ताह के भीतर अपॉइंटमेंट प्राप्त किया जा सके
- ऑपरेटर UIDAI-प्रमाणित हो तथा प्रमाण पत्र प्रदर्शित हो
- दूसरे जिले से आए लोगों के पता अद्यतन प्रसंस्कृत किए जा रहे हों
- बायोमेट्रिक अपवाद वाले लोगों (अंगुलियाँ न होना आदि) का अपवाद-हैंडलिंग प्रक्रिया का उपयोग करके नामांकन हो रहा हो



शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु आधार ऑपरेटर / पर्यवेक्षक है। शुल्क अधिक वसूले जाने (सबसे आम शिकायत) के लिए मुद्रित शुल्क सूची माँगें; आधिकारिक शुल्क UIDAI जनादेश के अनुसार प्रदर्शित होते हैं।

सेवा के बाद। एस्केलेशन केंद्र प्रबंधक (एजेंसी-संचालित केंद्रों पर) या मेज़बान संस्थान (डाकघर / बैंक / सामान्य सेवा केंद्र (CSC)) तक होती है। जिला रजिस्ट्रार (जिलाधिकारी) के पास अनुपालन-हीन केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने का अधिकार है।

बाहरी। UIDAI 1947 पर एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (12 भाषाओं में उपलब्ध) तथा uidai.gov.in पर एक शिकायत पोर्टल संचालित करता है। resident.uidai.gov.in पोर्टल ऑनलाइन स्थिति ट्रैकिंग प्रदान करता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) MeitY-स्तर की शिकायतें स्वीकार करती है। प्रमाणीकरण-सेवा संबंधी मुद्दों (आधार-लिंकड DBT विफलताओं) के लिए संबंधित योजना प्राधिकरण एवं UIDAI साझा अधिकार-क्षेत्र रखते हैं। बायोमेट्रिक अपवाद एवं पहचान-चोरी की शिकायतों के लिए UIDAI का एक विशिष्ट एस्केलेशन पथ है।

—